172
21/07/07

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमाक : एफ 4 (23) लेखा / आकाशि / अनु / 2007–08 / 2245 दिनांक 7 जुलाई 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007–08 से पूर्व मे संचालित संकायों / विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	11	बानसूर महाविद्यालय	बानसूर, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	34	यूनिवर्सल पी.जी.कालेज	4 माइल स्टोन, हिण्डोन रोड, महुवा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	39	महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय	महवा, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	49	विनायक कॉलेज चौमू	चौमू , जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	54	सेंट जेवियरर्स कॉलेज	फागी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	97	ओम कोठारी प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान	ए–1 स्पेशल,आई.पी.आई.ए.,झालावाड रोड, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	154	जानकी देवी महाविद्यालय	थानागाजी , अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
8	202	लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	कमला नेहरू नगर, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	219	अरावली महाविद्यालय	एसपी–1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमकाथाना, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	244	श्री शिरडी सांई बाबा कॉलेज	किशनगढ, तह.सांभरले, जि.जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	248	संस्कार भारती महाविद्यालय	बगरू, तह.सांगानेर, जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	258	महावीर विधि महाविद्यालय	किरण पथ सेक्टर 4, मानसरोवर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
13	264	ज्ञानदीप महाविद्यालय	संत आसाराम आश्रम के पास, लूनियावास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

पीटीओ

4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

कमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/2258 दिनांक 7 जून 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(iii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(iv) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(v) जिला कलेक्टर, अलवर/ दौसा/ जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/ सीकर ।
(vi) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(vii) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(viii) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
(ix) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय ।
(x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
(xii) रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।